न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाब<u>ङ्ग,</u> व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य.वाद क.300026अ / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—25.06.2015</u> फा.नं.—6072015

श्रीमती सोहद्राबाई आयु 56 वर्ष पित श्री जियालाल, जाति पवार, निवासी ग्राम पोण्डी, प.ह.न.28 / 46 रा.नि.मं. भण्डेरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट।वादी

ः विरूद्ध ः

- 1. दुबराज आयु 40 वर्ष पिता स्व0 सुन्हर जाति मरार,
- 2. भुजल उर्फ भोजमती आयु—48 वर्ष पति स्व0 दुर्गाप्रसाद जाति मरार, दोनो निवासी ग्राम बैगाटोला(पोण्डी), तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 3.श्रीमती धुरवन्ती आयु 38 वर्ष पति श्री अशोक सहारे जाति मरार, निवासी भरवेली, तहसील व जिला बालाघाट।
- **4.**दुर्गाकला आयु 30 वर्ष पिता सुन्हर जाति मरार, निवासी बैगाटोला(पोण्डी), तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 5.म.प्र. राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

ः <u>निर्णय</u>ः (<u>आज दिनांक 22.11.2017 को घोषित</u>)

- 01— यह वाद विवादित भूमि खसरा नंबर—342/1 रकबा 3.35/1. 354 हे0 में से भूमि अंश भाग 0.30 डिसमिल भूमि मौजा पोण्डी, प.ह.नं.28/46 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट का इकरारनामा दिनांक 24.04.1986 के आधार पर पंजीयन एवं उक्त भूमि के वैधानिक कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मौजा पोण्डी, प.ह.न.—28/46 रा.नि.मं. भण्डेरी, तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र. की स्थायी निवासी होकर कृषक है। वादग्रस्त भूमि मूलतः भुसकीबाई पित सुन्हरसिंह के हक मालिकी की भूमि थी। भुसकीबाई की मृत्यु पश्चात फौती दाखिला के उपरांत वर्तमान में प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेख में दर्ज है। वादगस्त भूमि कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर—342/1 रकबा 3.35/1.354 हेक्टेयर में से 0.30 डिसमिल भूमि मौजा पोण्डी, पहनं.28/46 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित

है, जिसकी चतुरसीमा पश्चिम में बचत भूमि, पूर्व में पोण्डी बैगाटोला निस्तारी रोड, उत्तर में संजय की भूमि तथा दक्षिण मे शेष बचत भूमि है।

- 03— वादग्रस्त भूमि ख.नं. 342/1 रकबा 3.35 एकड़ भूमि में से रकबा 0.30 डिसमिल मौजा पोण्डी में स्थित थी, जिसे भुसकीबाई द्वारा अपनी पुत्री के विवाह एवं गौना में रुपयों की आवश्यकता होने से वादी को 15,000/—रूपये में विक्रय की गई तथा विक्रय उपरांत वादी द्वारा विक्रय की संपूर्ण राशि लिखा—पढ़ी कर गवाहों के समक्ष देकर संबंधित हल्का पटवारी से नाप कर कब्जा प्राप्त किया गया था तथा भुसकीबाई द्वारा इकरार किया गया कि उसके पक्ष में जब चाहे रजिस्ट्री करने कहेगें वह उसके पक्ष में भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन करवा देगी, जिसके आधार पर वादी ने अपने परिवारवालों के साथ गवाहों की उपस्थिति में मावजाने की राशि देकर सौदा पत्र की लिखा—पढ़ी दिनांक 24.04.1986 में कर सौदा पत्र की एक प्रति अपने पास रखी तथा विवाह संपन्न होने के बाद वादी द्वारा भूमि की रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया, तब स्व0 भुसकीबाई के द्वारा भूमि का पट्टा सोसायटी में रखा है कहा गया और उसे लाने के बाद ही रजिस्ट्री करवा दूंगी, जिसपर वादी एवं उसका पति विश्वास करते रहे।
- 04— वादी अपने परिवार सहित क्रयशुदा भूमि रकबा 0.30 डिसमिल भूमि की संबंधित हल्का पटवारी द्वारा नाप कराकर सीमा बताए जाने के बाद सीमाबंधी कर तार की बाउण्ड्री बना ली तथा उसमें फलदार व ईमारती प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए, जो वर्तमान में मौके पर स्थित है, जिसका भूमि सहित उपयोग उपभोग वादी द्वारा किया जा रहा है। वादी द्वारा भूमि क्रयशुदा भाग की रजिस्ट्री करने हेतु कहा गया, तब भुसकीबाई द्वारा यह कहते हुए समय ले लिया गया कि उसके पुत्र दुर्गाप्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिससे वह उस कार्य में व्यस्त हो गई है तथा दुखी है, वह लोग चिंता न करें और वह उनके पक्ष में भूमि का पंजीयन करवा देगी। भुसकीबाई द्वारा कहा गया कि उसने भूमि का कब्जा सौंप चुकी है और वह लोग बिना संकोच के वादग्रस्त भूमि पर उपयोग उपभोग करें, जिसपर विश्वास कर शांत रहे। भुसकीबाई द्वारा भूमि विक्रय करने व मावजाने की राशि भूमि का कब्जा सौंपने की जानकारी प्रतिवादी क.01 से 04 को थी, परंतु विक्रेता भुसकीबाई की मृत्यु हो गई और वादी के पक्ष में भूमि का पंजीयन नहीं हो सका, परन्तु भूमि का कब्जा वादी का ही रहा।
- 05— वादी द्वारा भुसकीबाई की मृत्यु पश्चात क्रयशुदा भूमि के पंजीयन हेतु प्रतिवादी क्र.01 से 04 को कहा गया, तब प्रतिवादी क्र.01 से 04 के द्वारा कहा गया कि वर्तमान में भुसकीबाई फौत हो गई है और वह लोग फौती दाखिला करवा लेते है तथा राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कर उनके

पक्ष में भूमि का पंजीयन करवा देंगे और वह लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। प्रतिवादी क.01 से 04 के द्वारा स्व0 भुसकीबाई की फौती करवाकर अपना नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया गया, उसके बाद वादी द्वारा प्रतिवादी क.01 एवं 04 को भूमि की रिजस्ट्री करवाने के लिए कहे जाने पर प्रतिवादी क.01 से 04 द्वारा टाल—मटोल करते रहे और वर्तमान तक भूमि का पंजीयन वादी के पक्ष में नहीं किया गया, तब वादी द्वारा सौदा पत्र के गवाहों तथा गांव समाज के लोगों को उक्त क्रयशुदा भूमि की रिजस्ट्री न कराये जाने के संबंध में बताया गया, जिनके द्वारा भी प्रतिवादी क.01 से 04 को समझाईश दी गई, उसके बावजूद भी पंजीयन नहीं करवाया गया। वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने पक्ष में भूमि का विक्रय पत्र तहरीर करवाने एवं पंजीयन कार्यालय बैहर में उपस्थित होने विषयक एक रिजस्टर्ड म्यादी नोटिस प्रेषित की गयी, जिसका प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही समय सीमा में उपस्थित होकर वादी के पक्ष में क्रयशुदा भूमि का पंजीयन करवाया गया।

वादी द्वारा क्यशुदा भूमि के विक्य पत्र का पंजीयन किये जाने 06-के उपरांत प्रतिवादी क.01 से 04 द्वारा गांव में आवेश में आकर कहा जाने लगा कि वह लोग वादी के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करते और उनसे जो बनता है करें और रजिस्ट्री करने कहोगे तो उन्हें जमीन पर काश्त भी नहीं करने देंगे और जो वृक्ष लगाए गये है, उन्हें भी काटकर ले जा लेगे, जिससे वादी ने भयभीत होकर गांव, समाज के लोगों, गवाहों को मौके की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, तब मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा समझाईश दिये जाने का प्रयास किया गया, परन्तु प्रतिवादी क.01 से 04 किसी की नहीं माने, तब उपस्थित लोगों द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने की सलाह दी गई, जिसके आधार पर वादी द्वारा पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर पुलिस चौकी उकवा द्वारा 145 जा.फौ. का इस्तगासा तैयार किया जाकर अन्विभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें उभयपक्ष की उपस्थिति हेत् समंस जारी कर जवाब एवं दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने कहे जाने के बाद दा.प्र.क.92 वर्ष 2012–13 धारा–145 मौजा पोण्डी पंजीयत किया जाकर दिनांक 24.05.13 को आदेश पारित कर सक्षम न्यायालय से स्वत्व एवं वैधानिक कब्जा का निराकरण कराये जाने बाबद् निर्देशित किया गया एवं वादग्रस्त भूमि अंश भाग 0.30 डिसमिल भूमि जो कि वादग्रस्त भूमि का अंश भाग को सरपंच ग्राम पंचायत पोण्डी के आधिपत्य में दे दिया गया है एवं उभयपक्ष को वादग्रस्त भूमि में दखल अंदाजी करने से निषेधित कर दिया गया।

07— वादी द्वारा दिनांक 24.04.1986 से भूमि खरीदी उपरांत भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर बतौर मालिक कब्जा प्राप्त किया गया है, जिसकी जानकारी प्रतिवादी क.01 से 04 को पूर्व से है और जिनकी जानकारी में रहते हुए उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर लगातार 30—31 वर्षों से कब्जा व काश्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के अंश भाग 0.30 डिसमिल भूमि की वैधानिक स्वामी व आधिपत्यधारी होने से घोषणात्मक आदेश प्राप्त करने की अधिकारी है और जिसका हक परिपक्व हो चुका है तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

वादी क्रयशुदा भूमि मौजा पोण्डी खसरा नंबर 342/1 रकबा 3.35 एकड़ भूमि में से भूमि अंश भाग 0.30 डिसमिल भूमि अपने पक्ष में पंजीयन कराने की अधिकारी है व प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 वादी के पक्ष में भूमि का विक्रय पत्र तहरीर करवाने हेतु जिम्मेदार है। वाद कारण दिनांक 16.07.2012 को पहली बार तब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा वादी के पक्ष में समझाईश किये जाने के बाद भी भूमि का पंजीयन नहीं किया गया। उसके उपरांत वादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से भूमि का पंजीयन कराये जाने हेतू म्यादी नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका जवाब प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया। उसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा दा.प्र.क.92 वर्ष 2012–13 धारा–145 जा.फौ. मौजा पोण्डी में पारित आदेश दिनांक 24.05.2013 के अनुसार निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त भूमि सरपंच ग्राम पंचायत पोण्डी के आधिपत्य में सौंपी जाकर उभयपक्ष को वादग्रस्त भिम में घुसकर दखल देने से निषेधित कर उभयपक्ष को स्वत्व एवं वैधानिक कब्जा हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु कहा गया। वादी अपने पक्ष में भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 24.04.1986 सौदा पत्र अनुसार तहरीर करवाने की अधिकारी है। वादी द्वारा उचित रूप से न्यायशुल्क चस्पा किया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर-342/1 रकबा 3.35/1.354 है0 में से भूमि अंश भाग 0.30 डिं0 भूमि मौजा पोण्डी, प.ह.नं.28 / 46 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट का इकरारनामा दिनांक 24.04.1986 के आधार पर पंजीयन कर उक्त भूमि के वैधानिक कब्जा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

09— वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादीगण ने यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण को खानदानी हक से प्राप्त संपत्ति ग्राम पोण्डी, प.ह.न.28/46 में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 342/1 रकबा 3.35/1.353 हेक्टेयर भूमि है, जिसको प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही संपूर्ण भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि को वादी के द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि वादी की भूमि से लगी होने के कारण वर्ष 2013 में बाड़ी—रूंधान के समय अपनी हद से अधिक भूमि बढ़ाकर रूंधने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार बैहर के समक्ष आवेदन धारा—250 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के तहत् पेश किया गया, जिसके उपरांत

तहसीलदार बैहर द्वारा भूमि की सीमाओं की जांच करने राजस्व निरीक्षक से जांच कर प्रतिवेदन मांगा गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि का पंचनामा माप कर किया गया, जिसमें बताया गया कि खसरा नंबर 342/1 में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, जिसके अंश भाग 0.30/0.120 हेक्टेयर पर वादी के पित जियालाल बल्द रामाजी का अवैधानिक कब्जा है तथा वादग्रस्त भूमि के वैधानिक भूमिस्वामी प्रतिवादीगण है तथा वादी का तथा वादी के पित का अवैधानिक कब्जा हटवाना उचित होगा, जिसके उपरांत तहसीलदार बैहर द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में आदेश किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के अंश भाग 0.30/0.120 हेक्टेयर से वादी व उसके पित जियालाल वल्द रामाजी को बेदखल किया जाता है और वह अपना अवैधानिक कब्जा 15 दिवस में हटा लेवें अन्यथा अर्थदण्ड आरोपित कर सिविल कारावास की कार्यवाही की जावेगी, परंतु वादी व उसके पित जियालाल के द्वारा राजनीति दबाव व पैसों के बल पर वर्तमान तक अपना कब्जा बनाये रखा है, जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा देने के लिये कहा जाता है तो वादी व उसका पित मारने—पीटने के लिये आमादा होते है।

10— वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खानदानी हक हिस्से की भूमि है, जिसका कोई भी सौदा किसी भी व्यक्ति ने वादी व उसके पित से नहीं किया है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण की मॉ भुसकीबाई की मृत्यु होने के उपरांत वादी स्वयं के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रतिवादीगण को डराया—धमकाया जा रहा है कि न्यायालय में केस लड़ने के डर के कारण प्रतिवादीगण तंग आकर उक्त भूमि वादी को देने को विवश हो जाये। प्रतिवादीगण गरीब व्यक्ति है, जिन्हें परेशान करने की नियत से वादी द्वारा झूठा प्रकरण प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसे सव्यय निरस्त किया जावे।

11— उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके विवेचना उपरांत मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादीगण की पूर्वज स्व0 भुसकीबाई	5
	ने दिनांक 24.04.1986 को वादी से	
	वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 342/1 रकबा	
	3.35 एकड़ में से 0.30 डिसमिल भूमि	अप्रमाणित
	15,000 / — रुपये में विक्रय करने का	Col
	अनुबंध किया और अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया ?	(9)
	। ।-गाप्स ।मग्या .	

		V V
2.	क्या प्रतिवादीगण ने उक्त अनुबंध अनुसार	16
	वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने	अप्रमाणित
		OBAILLAKI
	से अवैधानिक रूप से इंकार किया ? 🥂	c 3
3.	क्या वादी अनुबंध पालन के लिए सदैव	🙏 अप्रमाणित
	तत्पर और तैयार रही है ?	X CY
	तत्पर आर तयार रहा ह !	C
4	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	अप्रमाणित
	~ ~ ~ ~	
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका
9	राहावसा रूप व्यव :	
	50	कमांक 15 के अनुसार
	X 3	वाद निरस्त किया गया।
	100	वाद । १२२० विश्वा ववा।
	(1) (1)	

विवाद्यक प्रश्न क्मांक 01 से 03 का निष्कर्ष:-

वाद पत्र के अभिवचनों का समर्थन कर वादी सोहद्राबाई 12-वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा पोण्डी, प.ह.नं.28 / 46 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर-342/1 रकबा 3.35/1.354 है0 में से भूमि अंश भाग 0.30 डिसमिल भूमि मूलतः भुसकीबाई पति सुन्हरसिंह के हक मालकी व स्वामित्व की थी, जिसे उसने सौदा पत्र दिनांक 24.04.86 के द्वारा प्रतिफल की राशि लेकर क्रय किया है और भुसकीबाई के फौत होने के कारण उसके वैध वारसान के विरूद्ध उसने वाद प्रस्तृत किया है। उक्त भूमि को भूसकीबाई द्वारा पुत्री के विवाह के लिए पैसों की आवश्यकता होने के कारण 15,000 / - रुपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर उसे गवाहों के समक्ष विकय कर कब्जा प्रदान किया गया था तथा कहा गया था कि उसके कहे अनुसार भूमि का पंजीयन करा दिया जावेगा। विकय पत्र की एक प्रति भुसकीबाई ने अपने पास रखी थी। विवाह संपन्न होने के पश्चात उसने भुसकीबाई को पंजीयन हेतु चलने को कहा तो भुसकीबाई ने भूमि का पट्टा सोसायटी में रखे होने के कारण बाद में रजिस्ट्री करने की बात कही। उसने कई बार भुसकीबाई को भूमि की रजिस्ट्री हेत् कहा, परंत् भूसकीबाई ने हर समय विभिन्न कारणों से, जिसमें उसके पुत्र दुर्गाप्रसाद की मृत्यु शामिल थी, टाल–मटोल किया जाता रहा और रजिस्ट्री का आश्वासन दिया जाता रहा। उसने क्रयशुदा भूमि की संबंधित पटवारी द्वारा बताई गई सीमा अनुसार तार फेंसिंग से सीमाबंदी कर ली है और फलदार तथा इमारती प्रजाति के वृक्ष भी लगाये हैं, जो कि वर्तमान में मौके पर स्थित है। तत्पश्चात अचानक मुसकीबाई की मृत्यु हो जाने पर भूमि का पंजीयन उसके पक्ष में नहीं कराया जा सका, परंतु विक्रय तथा कब्जे की जानकारी प्रतिवादीगण को है। ELITIFIED POR

- वादी सोहद्राबाई वा.सा.01 के अनुसार भुसकीबाई की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा फौती दाखिला तथा अन्य कारणों से रजिस्द्री करवाने हेत् टाल-मटोल की जाती रही। फौती करवाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई, जिसके पश्चात उसने गांव समाज के समक्ष प्रतिवादीगण को समझाईश देने के पश्चात अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को नोटिस दिया, परंतु उन्होंने जवाब न देते हुए रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया और वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं करने देने की धमकी दी। फिर उसने पुलिस चौकी उकवा में उक्त संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके पश्चात पुलिस ने अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में धारा–145 द.प्र.सं. का इश्तगासा पेश किया, जिसमें सुनवाई के दौरान वादग्रस्त भूमि को ग्राम पंचायत के कब्जे में दे दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उसके पक्ष में पंजीयन नहीं कराने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में भूमि का पंजीयन करवा कर भूमि का कब्जा दिलाये जाने हेतु यह वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। उसने अपने वाद के समर्थन में नोटिस दिनांक 16.07.2012 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.01 तथा अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 92 वर्ष 2012 में पारित आदेश दिनांक 24.05.13 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.02 प्रस्तुत की है। वादी के उक्त कथनों का समर्थन इमरत ठाकरे वा.सा.०२, शिवलाल तुरकर वा.सा.०३ तथा नंदराम चौहान वा.सा.०४ ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये है।
- वादी के उक्त कथनों का खंडन कर प्रतिवादी दुबराज प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भृमि खसरा नंबर 341/1 रकबा 3.35 एकड़ उसकी खानदानी भूमि है, जिस पर पूर्वजों के समय से ही उनके द्वारा काबिज होकर काश्त किया जा रहा है, जो कि वादी की भूमि से लगी हुई है। वर्ष 2013 में अपने हद से अधिक भूमि पर रूंधने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार बैहर के समक्ष म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा—250 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसीलदार बैहर द्वारा राजस्व निरीक्षक से भूमि की सीमा के संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया और राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन पश्चात 30 डिसमिल भूमि पर वादी का अवैध कब्जा होने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार बैहर द्वारा वादी को अवैध कब्जे से हटाकर उन्हें कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया, परंतु धन बल एवं राजनीतिक दबाव के कारण वादी द्वारा अपना कब्जा बनाये रखा गया और कब्जा देने हेतू कहने पर झगड़ा किया जाता रहा। वादग्रस्त भूमि उनकी खानदानी भूमि है, जिसका कोई विकय वादी अथवा उसके पति को नहीं किया गया है, परंतु वादी द्वारा भूमि हडपने की नियत से उनकी माँ की मृत्यु के पश्चात कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें धमकाया जाता रहा है, ताकि वे लोग तंग आकर भूमि वादी को देने हेतु

विवश हो जाये। वे लोग गरीब व्यक्ति है, जिनको परेशान करने हेतु वादी द्वारा झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

- वादी द्वारा प्रकरण विक्रय पत्र दिनांक 24.04.86 के आधार पर 15-प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्रकरण में उक्त विक्रय पत्र को ही प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही प्रस्तृत नहीं करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण है। वादी सोहद्राबाई वा.सा.०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में मात्र यह कथन किया है कि विक्रय पत्र की एक प्रति भूसकीबाई के पास थी। विक्रय पत्र कितनी प्रतियों में तैयार किया गया था और पंजीकृत था अथवा नहीं, उक्त संबंध में वादी पूर्णतः मौन है। सामान्य तौर पर कोई अभिलेख दो प्रतियों में तैयार किया जाता है तथा उभयपक्ष द्वारा एक-एक प्रति रखी जाती है, परंतु प्रकरण में वादी द्वारा स्वयं की प्रति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तृत नहीं किया गया है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि विक्रय पत्र केवल एक प्रति में तैयार किया गया था और जो भूसकीबाई के पास था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा–91 संविदा या लिखित के लिए मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन करती है। पूर्व में भी विभिन्न न्यायदृष्टांतों द्वारा यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विक्रय के संबंध में मीखिक साक्ष्य दिया जाना संभव नहीं है। विक्रय विलेख मूल अथवा विधि अनुसार द्वितीय साक्ष्य दिया जाना संभव हो तो उसके द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है।
- वर्तमान प्रकरण विक्रय विलेख दिनांक 24.04.86 की प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में पूर्णतः मौन है। वादी द्वारा प्रकरण में उक्त विक्रय विलेख के संबंध में केवल मीखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि धारा–91 साक्ष्य अधिनियम के तहत् अपवर्जित है। ऐसी स्थिति में मात्र प्र.पी.01 के नोटिस के आधार पर कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, परंतु सबत का भार वादी सोहद्रा पर है, जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि तहसीलदार न्यायालय से उसके विरूद्ध वादग्रस्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था। यद्यपि प्रतिवादी दुबराज प्र.सा.01 ने भी उक्त आदेश के विरूद्ध अपील होने के सुझाव को स्वीकार किया है, तथापि उभयपक्ष द्वारा कोई संबंधित दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तृत नहीं किये गये हैं। वादी द्वारा वर्ष 1986 से वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने के कथन किये गये हैं, जो कि उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है, तथापि यदि तर्क के लिए वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य मान भी लिया जाए, तब भी वर्तमान वाद आधिपत्य के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण का मुख्य आधार कथित विक्रय पत्र है, जो प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः साक्ष्य के पूर्ण अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण की पूर्वज

स्व0 भुसकीबाई द्वारा वादी से अनुबंध किया गया था, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 का निष्कर्षः 🔨

17— परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 54 संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु तीन वर्ष की समय—सीमा का प्रावधान करती है, जिसका समय पालन किये जाने से इंकार करने की तिथि से प्रारंभ होता है। चूँकि प्रकरण में वादी के पक्ष में संविदा किया जाना ही प्रमाणित नहीं है। फलतः वाद के अवधि बाह्य होने के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 05 का निष्कर्षः— सहायता एवं व्ययः—

18— उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रही है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

अ—वादी वाद व्यय वहन करेगी।

ब–अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोडी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / –
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो
बैहर बालाघाट म.प्र.

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो
बैहर बालाघाट म.प्र.